न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 29/2006

श्री बालू पिता भैरू माली निवासी बरल द्वितीय तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

——————वादी

ब ना म

ग्राम पंचायत बरल द्वितीय जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बरल द्वितीय तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

————प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी

निर्णय दिनांक 14.6.2018

वादी ने अपने वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है, कि मौजा बरल द्वितीय तहसील मसूदा में वादी की मिल्कियत आधिपत्य की व खाते की आराजी खसरा नंबर 671 रकबा 0.2671 हैक्टर स्थित है। वादी ने उक्त आराजी में कृषि कार्य एंव कृषि प्रयोजनार्थ हेतू पुख्ता पट्टी पोश मकान बना रखा है, जिसमें वादी कृषि कार्य करने हेतू अपना सामान आदि रखता आ रहा है। प्रतिवादी का उक्त आराजी व उसमें बने मकान में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नही है, मगर फिर भी वो जानबूझकर कर बदनियती से उक्त किये हुये कारतामिरात को ग्राम पंचायत बरल की सीमा में मानकर उक्त आराजी में नाजायज तौर हस्तक्षैप करते है और किये हुये कारतामिरात को जबरन तुडवाने एंव वादी को उक्त आराजी से जबरन बेदखल करने कराने व अपना आधिपत्य करने कराने पर उतारू है और न मान लडाई झगडा करने कराने पर उतारू होते है, और से कृत्य उन्होने दिनांक 8.12.2005 से जारी कर रखा है, जो कृत्य उनका अवेध व नाजायज है। तथा प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस द्वारा दिनांक 24.12.2005 को दिया जा चुका है, फिर भी उन्होने इस और ध्यान नही दिया इसलिये उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने की नौबत पेश आई अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादी के हक में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी की जावे कि स्वंय या अन्य द्धारा वादी की आराजी में व उसके अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ बने मकान बने मकान में किसी प्रकार की दस्तअंदाजी व हस्तक्षेप करने कराने और उसमें किये हुये कारतामिरात को तोडने व तुडाने तथा उक्त आराजीयात में वादी को जबरन बेदखल करने कराने एंव अपना आधिपत्य करने कराने से रूके रहे। तथा खर्चा वाद दिलाया जावे।

बडा आसन तहसील विजयनगर जिला–अजमेर में स्थित खसरा नंबर 210 रकबा 00–03–10, 212 रकबा 00–02–00, 213 रकबा 01–19–10, 221 रकबा 02–03–10, 223 रकबा 06–09–00, 224 रकबा 03–09–10, 225 रकबा 02–05–10, एंव खसरा नंबर 343 रकबा 04–04–00 भूमियां वादीगण के नाम होकर राजस्व रेकार्ड में अंकित है। वादीगण ने उक्त आराजी खसरा नंबर 223 व 224 की सुरक्षा हेतू सीमा दीवारे के रूप में थोर लगा रखी है जिस पर प्रतिवादीगण बिना किसी अधिकार के लगभग 10 फीट चौडाई तक के भू भाग पर प्रतिवादीगण थोर को उखाड दी है। जबकि प्रतिवाादीगण का विवादित आराजी में कोई वास्ता सरोकार नही है, और जबरन कब्जा करना चाह रहे है। प्रतिवादीगण को वादीगण के उपयोग उपभोाग एंव कब्जे काश्त में कोई किसी भी प्रकार का व्यवधान करने का कोई विधिक अधिाकार नही है। वादीगण द्धारा मनाकरने पर प्रतिवादीगण नही माने जिस पर वादीगण पुलिस थानाविजयनगर में रिपोर्ट दर्ज करवाई लेकिन प्रतिवादीगण ने दिनांक 22.4.2014 कोा खुले आम चुनोती दी है, कि उक्त आाराजी में जबरन कब्जाा करेंगे इसलिये इस वाद की आवश्यकता हई है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आधार की पारित की जावे वादीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी पैदा नही करे तथा वादीगण की आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा नही करे और वादीगण के कब्जे में कोई व्यवधान उत्पन्न नही करे तथा खर्चा वाद दिलाया जावे।

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज.

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी जरिये वकील उपस्थित होकर वादी के वाद को नकारते हुये जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है, कि वादी के खेत के पास ही ग्राम पचायत बर की आबादी भूमि स्थित है, ग्राम पंचायत बरल की आबादी भूमि पर टीचर्स क्वाटर बना हुआ है, उक्त टीचर्स क्वाटर पर वादी अवैध रूप से नाजायज कब्जा करना चाहता है, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रकिया अपनाकर हटाया गया है, और वर्तमान में ग्राम पंचायत का ही कब्जा है और वहां पर शिक्षा केन्द्र चल रहा है। ग्राम पंचायत के कोरम में प्रस्ताव पारीत कर वादी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया और विधिक रूप से वादी को उसके नाजायज मंसूबे में सफल नही होने दिया गया वादी की आराजी भूमि में ग्राम पंचायत ने कोई भी दखल नही की है। वादी द्वारा दिये गये नोटिस पर ग्राम पंचायत की विधिक कार्यवाही की पंचायत की आबादी भूमि में से अतिक्रमण व अवेध कब्जा हटाने का अधिकार है, और पंचायत स्वंय कार्यवाही कर सकती है। टीचर्स क्वाटर का ग्राम पचायत बरल द्वारा दिनांक 26.12.1967 में निर्माण किया गया तब से ही उक्त सम्पत्ति ग्राम पंचायत की है एंव मालिकाना हक व अधिकार में चली आ रही है, इस सम्पत्ति के निर्माण के खर्चा का हिसाब भी पेश किया है, टीचर्स क्वाटर पर वादी के पुत्र कुन्दनमाली ने अतिक्रमण कर कब्जा करने की नियत से तालानगबा दिया जिसे ग्राम पंचायत बरल ने विधिक प्रकिया अपनाकर वादी के पुत्र को नोटिस दिया एंव सहयोग लेकर दिनांक 6.3.2006 को ताला तोड कर कब्जा प्राप्त किया उक्त वाद में विवादग्रस्त सम्पत्ति आबादी भूमि में स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय में क्षैत्राधिकार में नही है उक्त वाद दीवानी प्रकृति का वाद है। अतः वादी का वाद विशेष हर्जे खर्चे के साथ खारीज किया जावे।

प्रकरण में वाद पत्र व प्रतिवाद पत्र के अनुसार अनुतोष सहित 3 तनकियात कायम की गई और शहादत में वादी ने शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी के तहत पेश कर अपने वाद पत्र के तथ्यो का समावेश किया। तथा दस्तावेज पर प्रदर्श मार्क अंकित किये गये जिसमें प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत 2059 से 2062, प्रदर्श–2 नोटिस दिनांक 24.12.2005, प्रदर्श–3 पोस्ट रसीद दिनांक 24.12.2005, प्रदर्श–4 प्राप्ति स्वीकृति रसीद है। तथा गवाह हीरा पुत्र गोपी जाति बैरवा निवासी बरल द्वितीय, मुकेश पु रामकरण जाति माली निवासी बरल दोयम एंव सत्यनारायण पुत्र जगन्नाथ जाति लुहार निवासी बरल दोयम ने अन्तर्गत आदेश 18 जाब्ता दीवानी के तहत शपथ पत्र पेश किये जिन्होने वादी के वाद में वर्णित तथ्यो को दोहराया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर वाद पत्र में कायम तनकियात निम्न प्रकार तय की जाती है।

1– आया कि वादग्रस्त भूमि मौजा बरल द्वितीय तहसील मसूदा के खसरा नंबर 671 रकबा 0.2671 है0 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा पाने का वादी अधिकारी है? ––वादी

2– आया कि वादग्रस्त भूमि बाबत प्रतिवाद पत्र में दर्शित मकान निर्माण कब्जे के आधार पर वाद खारीज कराने के अधिकारी है? ––प्रतिवादी

3– अनुतोष?

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज०

तनकी नंबर 1 इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है वादी ने अपने वाद में कथन किया है, कि वादी विवादित भूमि का खातेदार है, तथा प्रतिवादी का विवादित भूमि के विषय में कोई संबंध व सरोकार नही है तथा वादी के बने मकान को तोडने फोड करने पर आमादा होने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। जिसके समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार प्रदर्श–1 जमाबदी संवत 2059 से 2062 में खसरा नंबर 671 रकबा 0.2671 हैक्टयर किस्म चाही–1 वादी बालू पुत्र भैरू कौम

माली साकिन देह खातेदार दर्ज होना तथा वादी द्धारा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड शाखा बाडी के मुर्तहीन होना दर्ज होना पाया गया। प्रदर्श–2 रजिस्टर्ड नोटिस प्रतिवादी को दिनांक 24.12.2005 को जारी किया जाना पाया गया। प्रदर्श–3 व 4 द्धारा प्रतिवादी को नोटिस प्राप्त होना पाया गया। जबकि प्रतिवादी द्धारा जो दस्तावेजात पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये है, उनमें उक्त विवादित खसरा नंबर 671 बाबत कोई प्रस्ताव पारीत किया जाना नही पाया गया। एंव वादी का पुत्र कुन्दनमल किस खसरे में अतिक्रमण किया और उसको बेदखल किया वह खसरा नंबर भी अंकित किया जाना नही पाया गया। एंव टीचर्स क्वाटर किस खसरा नंबर में निर्माण किये गये उसके विषय में भी खसरा नंबर अंकित किया जाना नही पाया गया। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन व दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार उक्त तनकी वादी के हक में तय किया जाना पाया जाता है।

तनकी नंबर 2 इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर रहा है जिसमें प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे में स्वंय ने कथन किया है, कि वादी की भूमि के पास ग्राम पंचायत बरल की आबादी में टीचर्स क्वाटर बना हुआ है, तथा पैरा संख्या 4 में भी स्वीकार किया है, कि वादी की आराजी भूमि में ग्राम पंचायत ने कोई भी दखल नही की है। जबकि प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे में कथन किया है, कि विवादित भूमि आबादी है, जबकि प्रदर्श–1 के अनुसार उक्त भूमि की किस्म चाही दर्ज होना अंकित है। तथा उक्त तनकी नंबर 1 वादी के हक में निर्णित की जा चुकी है, ऐसी स्थिति में दस्तावेजी साक्ष्य व विवेचन के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादी के हक में निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 3 चूंकि तनकी नंबर 1 व 2 वादी के हक में निर्णित की जा चुकी है, इसलिये वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारीत कि जाती है, कि मौजा बरल द्वितीय तहसील मसूदा में आराजी खसरा नंबर 671 रकबा 0.2671 हैक्टर बने मकान में प्रतिवादी तोडफोड नही करे तथा वादी को बदेखल नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.6.18 को मेरे द्धारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.31 16:51:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: